

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा )

अजय बनाम किशोरीलाल वगै०

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न. 101 / 25

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2025	<p>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरिये प्रार्थी अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर एड० द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा० अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा में वर्तमान खसरा नम्बर 2492 तथा 2492 एवं 2454 की सीमा पर आगामी पेशी तक बिना सीमाज्ञान किए किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन से की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तज़ार रजिस्टर्ड तामील अप्रार्थीगण दिनांक 15.09.2025 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा</b></p>	
15/9/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपर वास्ते Reg. तामील अप्रार्थीगण दि० 10/11/25 को पेश है।	
10/11/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अल्पस्थित। पत्रावली में पैरवी हेतु खुले न्यायालय में बार-बार आवेज लगाई गयी लेकिन कोई भी एजिर नही आया। अतः पत्रावली काफ़म पैरवी काफ़म एजिसी में खारिज की जाती है।	

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला दौसा